



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 907]

No. 907]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 2008/आषाढ़ 9, 1930

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2008/ASADHA 9, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2008

का.आ. 1585(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 30 अप्रैल, 2008 को प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 30 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1048(अ), जिसमें सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले, अर्थात् दिनांक 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में राम जन्म भूमि—बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराए जाने की जांच करने के लिए गठित जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया था, के आंशिक संशोधन में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आयोग, अर्थात् लिबरहान अयोध्या जांच आयोग, अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 2008 को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. सी-71013/4/98-अयोध्या]

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2008

S.O. 1585(E).—In partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Home Affairs, No. S.O. 1048(E), dated 30th April, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 30th April, 2008 extending the tenure of the Commission of Inquiry, to inquire into a definite matter of public importance, namely, the destruction of Ram Janma Bhoomi-Babri Masjid structure at Ayodhya on the 6th December, 1992, it has been decided that the said Commission, namely, the Liberhan Ayodhya Commission of Inquiry, will submit its report on or before the 30th September, 2008.

[F. No. C-71013/4/98-Ay.]

ARUN KUMAR YADAV, Lt. Secy.